



37/33
8/7/16

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प0 27(36)चिस्वा/2/2016

जयपुर दिनांक 04.07.2016

M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai


अपीलान्त

बनाम


प्रबंध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर।

अन्तर्गत धारा 38 (1), RTTP Act, 2012

प्रथम अपील संख्या -36/2016



निर्णय दिनांक 04.07.2016



रिस्पोंडेंट

अपीलान्त फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai की ओर से अधिवक्ता श्रीमती सुकृति कासलीवाल एवं अन्य प्रतिनिधि उपस्थित हुये तथा आर.एम.एस.सी.एल की तरफ से कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.), वरिष्ठ प्रबंधक-I (ई.पी.एम.), वरिष्ठ प्रबंधक-II (ई.पी.एम.) एवं कन्सलटेन्ट बायोमेडिकल इन्जीनियर आदि उपस्थित हुये।

1. संक्षिप्त में अपील तथ्य इस प्रकार है कि आर.एम.एस.सी.एल. द्वारा निविदा सूचना संख्या 116 दिनांक 28.09.15 जारी कर विभिन्न चिकित्सकीय उपकरणों की निविदाएं आमन्त्रित की गईं। निविदाओं की तकनीकी बिड दिनांक 02.01.16 को खोली गई। उक्त निविदा अन्तर्गत आईटम Platelet Agitator and Incubator के लिये अपीलान्त फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai एवं अन्य तीन फर्मों ने भाग लिया। आर.एम.एस.सी.एल. ने तकनीकी बिड का मूल्यांकन पूर्ण करते हुये List of Responsive/Non-Responsive Bidders वित्तीय बिड खोले जाने बाबत आदेश क्रमांक 2015 दिनांक 26.04.16 जारी किया। जिसमें अपीलान्त फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai को Non Submission of Valid USFDA Certificate for Item के कारण Non-Responsive घोषित किया गया। आदेश क्रमांक 2015 दिनांक 26.04.16 अन्तर्गत वित्तीय बिड दिनांक 28.04.16 को खोला जाना निर्धारित किया गया। जिसको की निगम के आदेश क्रमांक 2088/29.04.16, 2137/03.05.16, 2200/06.05.16, 2256/11.05.16, 2419/18.05.16 से स्थगित करते हुये आदेश क्रमांक 2936 दिनांक 27.06.16 से दिनांक 29.06.16 को खोला जाना निर्धारित किया गया। अपीलान्त फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai ने आदेश क्रमांक 2015 दिनांक 26.04.16 से उनको Non-Responsive घोषित किये जाने को अनुचित बताते हुये व्यथित होकर हस्तगत प्रथम अपील RTTP Act 2012 की धारा 38(1) अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. अपील सुनवाई दिनांक 04.07.16 को की गई। अपीलान्त फर्म ने अपील में संलग्न दस्तावेजों की सत्यता बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
3. दोनों पक्षकारों की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपीलार्थी फर्म ने मुख्यतः अपील में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया एवं संलग्न सम्बन्धित दस्तावेज को साक्ष्य में प्रस्तुत किया। प्रमुख रूप से तर्क रहा कि निविदा के उक्त आईटम Platelet Agitator and Incubator के लिये निगम ने निविदा में तकनीकी स्पेसिफिकेशनों में Certificate - Should be compliant with European CE or US FDA (Valid documentation should be

(A)


submitted in technical bid). की पात्रता का मापदण्ड रखा है। अतः अपीलार्थी को आईटम के लिये European CE अथवा US FDA में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करने का विकल्प प्राप्त था। अपीलार्थी फर्म ने निविदा प्रस्तुत की दिनांक 02.01.2016 को अपनी निविदा Certificate of conformity CE का मापदण्ड चयन करते हुये निविदा प्रस्तुत की तथा दिनांक 28.03.2016 को इसी आईटम के लिये USFDA के दस्तावेज निगम को प्रस्तुत किये। रेस्पोंडेन्ट ने आदेश दिनांक 24.06.2016 में USFDA के दस्तावेजों को Registration No. प्राप्त नहीं होने के कारण Valid नहीं मानते हुये स्वीकार नहीं किया।

4. फर्म के द्वारा जो Certificate of conformity CE आईटम के लिये प्रस्तुत किया गया था उसमें कोटेड आईटम के मॉडल का उल्लेख नहीं है, जो कि अनिवार्य होता है साथ Safety specification of IEC 6060-1 भी मांगी गई थी, जबकि अपीलार्थी फर्म ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह IEC 6060-1-2 के लिये है। अतः रेस्पोंडेन्ट के अनुसार अपीलार्थी फर्म की निविदा प्रस्तुत Certificate of conformity CE के आधार पर उपयुक्त पात्रता की श्रेणी में नहीं मानी जा सकती थी।

अपीलार्थी फर्म द्वारा प्रासंगिक अपील के सम्बन्ध में प्रस्तुत तर्क एवं साक्ष्यों के अवलोकन एवं रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत एवं अवगत कराये गये तथ्यों के अनुसार स्पष्ट होता है कि, निविदा अन्तर्गत सभी निविदादाताओं के लिये तकनीकी स्पेशिफिकेशन में Certificate - Should be compliant with European CE or US FDA (Valid documentation should be submitted in technical bid). के अनुसार विकल्प चयन का अवसर उपलब्ध था। अपीलार्थी फर्म ने निविदा प्रस्तुत दिनांक 02.01.2016 को निविदा के लिये Certificate of conformity CE के विकल्प का चयन करते हुए दस्तावेज तकनीकी बिड में प्रस्तुत किया परन्तु, इस दस्तावेज में कोटेड आईटम के मॉडल का उल्लेख नहीं होने एवं अनिवार्य Safety specification of IEC 6060-1 की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी फर्म Certificate of conformity CE के आधार पर अपनी पात्रता में सिद्ध करने में असफल रही। अपीलार्थी द्वारा निविदा के Evaluation Process में निगम को एवं अपील में जो USFDA में Listing के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं उनमें फर्म को owner Operators नम्बर ही प्राप्त हुआ जो कि अपील के संलग्नक 179-180 में इस बाबत उल्लेखित Not the registering your device facility and listing our devices does not in any way constitute FDA approval of our facility or our devices के कारण एवं यह दस्तावेज USFDA में Listing के निविदा प्रस्तुत दिनांक 02.01.2016 को तकनीकी बिड में अपलोड नहीं किये जाने के कारण पात्रता के लिए उपयुक्त नहीं माने जा सकते हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर रेस्पोंडेन्ट द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.04.2016 बाबत "List of Responsive/Non-responsive Bidders" समुचित है। अतः अपीलार्थी की अपील उपरोक्त तथ्यों के अनुसार आधारहीन होने से अपास्त की जाती है।

आदेश

उपरोक्त कारण से अपीलार्थी की अपील अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है। निर्णय से सभी पक्षकारों को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति पक्षकारान को निशुल्क उपलब्ध कराई जावे एवं राज्य उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जावे। पत्रावली निर्णय में सम्मिलित की जाकर कार्यालय में नियमानुसार संधारित की जाती है।


अपीलीय अधिकारी एवं
विशिष्ट शासन सचिव